

# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/26/2022  
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/176

<u>अपीलार्थी</u>	<u>बनाम</u>	<u>प्रत्यर्थी</u>
श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम, नि0 ग्राम-कल्याणपुरा, तहसील-बहरोड, जिला-अलवर हाल नि. वार्ड नं.3, मु.पो. बनेठी, तहसील-कोटपूतली, जिला-जयपुर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक: 30.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक: 31.01.2022 के माध्यम से प्रार्थी के पिता का नाम मंगल की जगह गंगल करने वाले कार्मिक का नाम, पदनाम व अन्य 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांक: 31.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का विनिश्चय नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांक: 1125-27 दिनांक: 10.05.22 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी प्रत्यर्थी के क्षेत्राधीन संधारित नहीं है, उक्त नाम संशोधन संबंधी जानकारी तहसीलदार बहरोड को पृथक से नियमानुसार आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।।



(शिवप्रसाद नकाते)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)